राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33 / फिजियो. / नियुक्ति / एम 72 / पार्ट–2 / 2014 / 525 दिनांकः 8-9-14

आदेश

राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांकः एफ.7(14) / भर्ती / गोपनीय / 2011–12 / 417 दिनांकः 10.11.2013 के द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर चयनित अभ्यर्थियों की प्राप्त सूची के अनुसार निम्नलिखित 35 अभ्यर्थियों को फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर पे–बैण्ड 9300–34800 ग्रेड–पे 4200 / – में वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.14(1) / एफडी (रूल्स) / 2013–II दिनांकः 28.06.13 के द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 13050 / – प्रतिमाह अस्थाई रूप से दो वर्ष के प्रोबेशनल काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थान पर किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम अभ्यार्थी	पिता / पति का नाम	जन्म दिनांक	मेरिट नं.	श्रेणी	श्रेणी जिसके विरूद्ध चयन हुआ है	पदस्थापन स्थान
1.	यतेन्द्र कुमार	श्री अमर सिंह खीचड़	24.7.80	1.	BC	GENM	अधीक्षक महाराणा भूपाल राजकीय चिकि. उदयपुर
2.	अम्बालाल गायरी	श्री प्रेमराम गयारी	14.10.84	2.	BC	OBCM	पीएमओ चित्तौड़गढ़
3.	सुमित गहलोत	श्री नत्थू सिंह गहलोत	4.6.87	3.	BC	GENM	अधीक्षक एमडीएम जोधपुर
4.	लवपीत कौर	श्री जगसिंह	12.8.79	4.	GE,WE	GENM	पीएमओ श्रीगंगानगर
5.	दुर्शी व्यास	शरदेन्दु शेखर व्यास	24.6.87	5.	GE,WE	GENM	पीएमओ राजसमंद
6.	विनती	श्री सुरेशपाल	19.4.88	6.	GE,WE	GENF	अधीक्षक एमडीएम जोधपुर
7.	नीतू अमर सिंह	श्री अमर सिंह मीणा	22.6.88	7.	ST,WE	STM	पीएमओ दौसा
8.	रामहरि मीना	श्री रामचरण मीना	5.7.78	8.	ST	STM	पीएमओ जालौर
9.	हर्ष एम राजदीप	श्री मोहन कोटवानी	5.6.79	9.	GE	GENM	अधीक्षक महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा
10.	खालिक अहमद	श्री खुर्शिद अहमद	12.6.81	10.	GE	GENM	अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर
11.	मनीष कुमार गुर्जर	श्री सुनील कुमार गुर्जर	11.5.82	11.	SB	OBCM	पीएमओ दौसा
12.	शिरीन परवीन	श्री हमीदुल्ला	10.6.84	12.	BC,WE	OBCF	अधीक्षक एसएमएस जयपुर
13.	नीदा परवीन	श्री अल्ताफ हुसैन	18.11.80	13.	BC,WE	OBCF (P)	पीएमओ नाथद्वारा, राजसमंद
14.	मो.तोफिक जीलानी	श्री शराफत हुसैन जीलानी	25.7.77	14.	BC	OBCM	अधीक्षक एसएमएस जयपुर
15.	गौरव पुरोहित	श्री पीयुष चन्द पारीक	30.5.79	15	GE	GENM	पीएमओ ब्यावर, अजमेर
16.	अरनब चन्द	श्री तापस कुमार	14.7.84	16.	GE	GENM	अधीक्षक एमडीएम जोधपुर
17.	मोनिका राय	श्री गुरूचरण राय	14.2.87	17.	SC,WE	SCF	पीएमओ कांवटिया जयपुर
18.	गगनदीप अरोड़ा	श्री रामदास अरोड़ा	25.12.89	18.	GE	GENM	अधीक्षक पीबीएम बीकानेर
19.	महेन्द्र झोरड़	श्री साहबराम झोरड़	28.10.81	19.	BC	OBCM	अधीक्षक पीबीएम बीकानेर
20.	नीता अग्रवाल	स्व डॉ. महावीर प्रसाद	4.9.86	20.	GE,WE	GENF	अधीक्षक पीबीएम बीकानेर
21.	बहादुर सिंह	श्री हरलाल सिंह	10.9.81	21.	BC	GENM	अधीक्षक महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय उदयपुर
22.	लोकेश कुमार जोनवाल	श्री शिवचरणलाल जोनवाल	19.11.83	22.	SC	SCM	पीएमओ ब्यावर, अजमेर
23.	साक्षी नारंग	श्री देवाराम नारंग	17.4.86	23.	GE,WE	GENF	अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर
24.	देवराज बैरवा	श्री सीताराम बैरवा	6.11.86	24.	SC	SCM	पीएमओ बारां

25.	कवलप्रीत कौर	श्री हरेन्द्र सिंह	9.1.87	25.	GE,WE	GENF	पीएमओ हनुमानगढ़ टाउन
26.	कपिल कुमार वर्मा	श्री राधेश्याम	12.11.84	26.	SC	SCM	पीएमओ कांवटिया जयपुर
27.	मदनलाल माड	स्व. श्री बिरधाराम	10.7.67	27.	GE,EX	GENM	अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह जोधपुर
28.	राजेन्द्र कुमार मीणा	श्री लक्ष्मीनारायण मीणा	31.12.76	28	ST	STM	पीएमओ टोंक
29.	कुसुम मीणा	श्री बाबूलाल मीणा	22.7.86	29.	ST,WE	STF	अधीक्षक जेएलएन चिकित्सालय अजमेर
30.	प्रशान्त कुमार	श्री मगन लाल	2.7.87	30.	SC	SCM	पीएमओ बाड़मेर
31.	ऋतु सिंह	श्री बंसत नारायण सक्सेना	2.3.77	32.	GE,WE WD	GENF	पीएमओ बांसवाड़ा
32.	गिरधारीलाल	श्री हनुमानाराम	20.11.63	33.	BC,EX	OBCM	अधीक्षक पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर
33.	नरेन्द्र सिंह	श्री बलवीर सिंह	8.8.70	34.	GE,EX	GENM	पीएमओ झुन्झुनूं
34.	महेन्द्र सिंह	श्री भोपत सिंह	2.1.76	35.	GE,EX	GENM	पीएमओ पाली
35.	ज्योति कुमारी	श्री लच्छूलाल मीणा	20.3.87	36.	TSP- ST WE	TSTM	अधीक्षक महाराणा भूपाल राजकीय चिकि. उदयपुर

नोटः– 1. उक्त नियुक्ति एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं. 20007/2013 श्री पवन कुमार शर्मा व अन्य में माननीय न्यायालय के निर्णयाधीन मान्य होगी।

परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरान्त ही पद की नियमित पे–बेन्ड एवं ग्रेड–पे का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

वित्त विभाग के परिपत्र संख्याः एफ.13 (1)/एफडी/रूल्स/03 दिनांक 28.01.04 के अनुसार उक्त नवनियुक्त कर्मचारियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख उनके सैकेण्डरी/हाई स्कूल के मूल प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

दिनांकः 01.06.02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। इस आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित हो,) शपथ पत्र संबंधित अभ्यार्थी से उपस्थिति के समय प्राप्त किया जावेगा।

विभाग की बेबसाईट से इस आदेश की प्रति का प्रिंट लेकर संबंधित नियंत्रण अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत की जा सकती है ।

उक्त सभी अभ्यार्थियों को कार्यग्रहण करते समय संबंधित नियंत्रण अधिकारी के सम्मुख **स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पुलिस वेरीफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण** पत्रों की छायाप्रति जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है के मूल दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करने होगे।

अभ्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगे साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डिक कार्यवाही की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जा सकेगा, अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किए जावेंगे।

विभागीय कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति देंगे । उन्हें नियमानुसार पे–प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त होगा ।

उक्त अभ्यार्थियों को दिनांक 29.9.2014 तक संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी (यथा अधीक्षक सम्बद्ध चिकित्सालय/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी इत्यादि) के अधीन कार्यग्रहण करना होगा। उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करने की दशा में उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

(दिनेश कुमार जॉगिड़)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःई–33 / फिजियो. / नियुक्ति / एम 72 / पार्ट–2 / 2014 / 525 दिनांकः 8-9-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. सचिव, राज. लोक सेवा आयोग,अजमेर को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के संदर्भ में ।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज राजस्थान।
5. समस्त संबंधित प्रशासनिक एवं नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन पदस्थापन पर कार्यग्रहण करने वाले अभ्यार्थियों के मूल शैक्षणिक, तकनीकी, जाति एवं अन्य का(आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों से) आपके स्वंय के स्तर पर परीक्षण किया जायेगा। प्रमाण पत्र सही पाये जाने पर ही उपस्थिति स्वीकार की जावेगी। इस प्रक्रिया के बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था से कराया जावे। राज्य के बाहर के तकनीकी शिक्षा संस्थानो से डिप्लोमा / बीपीटी के प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता के संबंध में भी संबंधित संस्था से सत्यापन करावे। अभ्यार्थियों द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन / चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावें। कोई प्रमाण पत्र सत्यापन के पश्चात् फर्जी, कूटरचित अथव मिथ्या पाये जाये तो उसकी सूचना तत्काल निम्न हस्ताक्षरकर्ता को दी जाये, ताकि मामले में त्वरित कार्यवाही कर यथोचित निर्देश दिये जा सके। साथ ही लेख है कि उक्त अभ्यार्थियों की कार्यग्रहण दिनांक 29.9.2014 तक उनके द्वारा कार्य ग्रहण किया गया है अथवा नही की सूचना फैक्स नं. 0141–2222683 एवं ई–मेल नं. add4ng@gmail.com पर सांय 6.30 बजे तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
6. निदेशक, (जन स्वा. / प.क.), जयपुर।
7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
9. संबंधित पुलिस अधीक्षक,
10. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
11. जन सम्पर्क अधिकारी मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूची को समाचार पत्रो में प्रकाशित करवाने का श्रम करे।
12. प्रभारी सर्वर रूप मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें ।
13. संबंधित अभ्यार्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित पते पर डाक द्वारा।
14. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर